

न्यायालय तहसीलदार परबतसर (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी:- राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का पीपलाद

बनाम

अप्रार्थी:- हरजीराम पुत्र श्री रामाराम निवासी पीपलाद

अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 29/19

निर्णय दिनांक :-09/09/2019

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पीपलाद ने अप्रार्थी के विरुद्ध टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2076 में सरहद पीपलाद के ख.न. 1424 रकबा 0.04 है0 भूमि किस्म गै.मु.गोचर में बाड लगाकर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल और एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस दिया गया। अप्रार्थी का नोटिस स्वयं से तामिल हुआ जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी अनुपस्थित रहा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी उपरोक्तानुसार पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार मौजा पिपलाद के ख.न 1424 रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि किस्म गै.मु.गोचर में अतिक्रमण किया हुआ है।

प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी का मुतनाजा भूमि पर अतिक्रमण पाया गया है अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 5 रूपये प्रति हैक्टेयर से अतिक्रमित भूमि 0.04 है0 के .20 रूपये के लगान का 50 गुणा 10/- अक्षरे दस रूपये बतौर जुर्माना कायम किया जाता है। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। बाद तकमील पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।



तहसीलदार परबतसर